

ज अदालत

मुकाम

लखविन्द सिंह बटवाल बनाम तेजा सिंह आदि

केशम मुकदमा

88 RFA

नं.

125

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5-18	<p>आज वादीगण व उत्तिवादीगण ने पेशिए कृषि लाफ्टर जी शकुरकार कएना वाड-पष कए शकीनाक पेडा बिना ई उत्तिवादीगण सं. 1 ता 3 की फोर ई भी बिनेद घाटीक 175 संकालतगक पेडा बिना। वादीगण व उत्ति- के अकिलाकक की सुना गका उ-दोने ककन किना बि वादीगण पैतृक आरावी के मुताबिक शकीनाक इकि नरकि जालत कर रहे। वाड- पष मुताबिक शकीनाक डिक्ली बिना वाली एकारे द्वारा पषा वाली पर उपलब्ध इलाकेकी जोशक का अवलोकन किया। वाड-पष जेकरन गकालतक ए 37/17 -अड 24 KSP के वाड जालत आरावी पैतृक अकि लानित ई पिले वादीगण मुताबिक शकीनाक जालत कर रहे ई।</p> <p>अतः लोक अदालत भी काबला के शकीनाक एकीकार कर वाड-पष डिक्ली बिना जाता ई तथा वादीगण ए. 1 व 2 के वाड जालत आरावी -अड 20 KSP रगता ए. 34/34, -अड 24 KSP रगता ए. 47/46 व 25 KSP रगता ए. 50/44 के ककशः 0.790 ई नदरी/कककागड 1.816 ई नदरी व 1.265 ई नदरी कक के. हु. कृषि अकि का मुताबिक शकीनाक रगतेदार काइत- काइत योगित्त बिना जाता ई वाड-पष क्वी रजिलरर डोकर पन्प डिक्ली जारी ई। एउ परिच्छा की</p>	<p>लखविन्द सिंह कुलदीप सिंह 9.8.18 दिनांक तेजा सिंह बेइमल कोर सतवीर कोर g h r e ₹</p>

(GR)

लोक सभ (शक्ति इतराम श्री चर्चा पथानली)

मिहला गुमर हेरु कारिभ ५५१२ श्री चर्चा

ओदेरा गुगाम गमा

६५

सहायक कलक्टर  
एय उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

7

मूल वाद मे डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान अराईयांवाली

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

- 1-लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तह0 हनुमानगढ
- 2-कुलदीप सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तह0 हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम

- 1-तेजासिंह पुत्र श्री चडत सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तहसील हनुमानगढ
- 2-सतवीर कौर पुत्री श्री तेजासिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तहसील हनुमानगढ
- 3-बैयन्त कौर पुत्री श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयांवाली तहसील हनुमानगढ
- 4-राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नम्बर :- 124 / 2018

निर्णय दिनाक :- 9.5.18

वादी की ओर से श्री रामकुमार कस्वां की व प्रतिवादी की ओर  
से श्री विनोद छात्री की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 9.5.18 को  
श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर,  
आदेश किया जाता है और डिक्री की जाती है कि :-

1-चक नम्बर 20 के एस पी प0नं0 119/328 मुरबा नं0 47 किला नम्बर 2/1 मे 0.137 है0, 3/0.063 है0, 8/0.060 है0, 9/1 मे 0.130 है0, 12/1 मे 0.137 है0, 13/0.063 है0, 18/0.063 है0, 19/1 मे 0.137 है0 तादादी 0.790 है0 नहरी अनकमाण्ड, चक 24 के एस पी प0नं0 110/328 मुरबा नं0 16 किला नम्बर 11/253 है0, 12/0.202 है0, 13/0.114 है0, 14/0.075 है0, 15/0.025 है0, 16/1 मे 0.057 है0, 17 ता 20/1.012 है0, 21/0.013 है0 प0नं0 110/329 मुरबा नं0 22 किला नम्बर 1/0.013 है0, 10/1 मे 0.013 है0, 11/1 मे 0.013 है0, 20/1 मे 0.013 है0, 21/1 मे 0.013 है0 तादादी 1.816 है0 नहरी, चक 25 के एस पी प0नं0 110/333 मुरबा नं0 21 किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 1.265 है0 नहरी मय गैरमुमकिन का वादीगण लखविन्द्र सिंह व कुलदीप सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 तेजा सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

यह आज तारीख 9.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी गई।

(सह)  
(सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी,  
पीठासीन अधिकारी  
हनुमानगढ  
उपखण्ड अधिकारी एवं